भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1130
बुधवार, 29 जुलाई, 2026 (7 श्रावण 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी

1130 श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) इस संबंध में क्या पहलें की गई हैं; और

(ग) इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क से ग) सरकार सहकारी समितियों को विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के समावेशी और सहभागी आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता देती है । सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ, सरकार का लक्ष्य किसानों, महिलाओं और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देते हुए सहकारिता आंदोलन को सशक्त करना है । सरकार डेयरी, कृषि, हस्तशिल्प आदि जैसे क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों की स्थापना और सशक्तीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ अभिसरण के माध्यम से विभिन्न संस्थानों और योजनाओं के जरिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाला एक सांविधिक संगठन है, जो सहकारिता के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास के अधिदेश के साथ स्वयं को संरेखित करते है, महिलाओं नेतृत्व वाली और एसएचजी से जुड़ी सहकारी समितियों को समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है, अर्थात :

i. **स्वयं शक्ति सहकार योजना:** इस योजना का उद्देश्य आय सृजन कार्यकलापों, उद्यमिता विकास और महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी के क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और सशक्त करना है । सहकारी समितियां बदले में महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी को आगे सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण दे सकती हैं।

ii. **नंदिनी सहकार योजना:** इस योजना का उद्देश्य डेयरी, पशुधन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यकलापों से जुड़ी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में लगी महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के लिए विशेष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे सहकारी उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है।

iii. **युवा सहकार योजना:** इस योजना का उद्देश्य युवा महिला उद्यमियों को एनसीडीसी के माध्यम से वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करके उभरते और अभिनव क्षेत्रों में सहकारी उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, एनसीडीसी परियोजना लागत का केवल 20 प्रतिशत योगदान करने के लिए अपेक्षित महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समिति को आसान वित्तपोषण के अलावा सावधि ऋण पर ब्याज दर पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करता है।

एनसीडीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को संवितरित की गई राशि निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	2023-24	711.78
2	2024-25	1356.13
3	2025-26	4926.49
	कुल	**6994.40**
